जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्ध्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/mmp/17 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | गुरुवार, 1 जून 2023

जेडीए के ज़ोन 13 मे जमवारामगढ़ रोड पर परमानन्द फार्म के आगे, रेगरों की ढाणी के सामने,बी.एन. मेमोरियल स्कूल के पीछे,भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी "मदन विहार" का मामला!!!

भाग-2

मौके पर गए अधिकारी को महज एक निर्माणाधीन मकान दिखाई दिया, जबकि दूसरे भूखंड पर भी निर्माण था जारी!!

जिस एक निर्माणाधीन स्कूल को 15 दिन पहले नोटिस दिया, उस पर भी नहीं रुक रहा काम!!ऐसे मे JDA की मंशा पर उठ रहे सवाल!!

सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन 13 मे जमवारामगढ़ रोड पर परमानन्द फार्म के आगे,रेगरों की ढाणी के सामने,बी.एन. मेमोरियल स्कूल के पीछे,भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर बसायी जा रही अवैध कॉलोनी “मदन विहार”!!!

जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि बड़े सुनियोजित तरीके से जेडीए के ज़ोन 13 मे जमवारामगढ़ रोड पर परमानन्द फार्म के आगे,रेगरों की ढाणी के सामने,बी.एन. मेमोरियल स्कूल के पीछे,भूमाफियाओं द्वारा कृषि भूमि पर आवासीय कॉलोनी “ मदन विहार” बसाई जा रही है|जिसके तहत बिना भू-रूपांतरण करवाए,कृषि भूमि पर,रोड पर अतिक्रमण करते हुए,जीरो सेटबेक पर कुछ मकान बनाए जा रहे है|

JDA की फौरी कार्यवाही!!कृषि भूमि पर बस रही इस कॉलोनी को 5-6 साल पुरानी बता कर नहीं की कोई बड़ी कार्यवाही!!

हमारे द्वारा यह मामला JDA के संज्ञान मे लाने पर संबंधित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 17/05/2023 को मौका मुआयना किया गया,जिसके बाद बिना भू-रूपांतरण कृषि भूमि पर बसी इस कॉलोनी को 5-6 साल पुरानी करार देकर,बड़ी कार्यवाही होने से बचा लिया|आपको बता दें कि यदि JDA द्वारा बड़ी कार्यवाही की जाती तो करीब 3-4 बीघा पर बसाई जा रही इस अवैध कॉलोनी मे बनी सड़कों,बिजली के खंभों,मकान के ढांचों और समस्त निर्माणाधीन और निर्मित मकानों को ध्वस्त कर दिया जाता,जिससे भूमाफियाओ को बड़ा सबक मिलता|

महज एक निर्माणाधीन स्कूल को नोटिस देकर की इतिश्री!!जबकि मौके पर चल रहे एक अन्य निर्माणाधीन मकान पर नहीं की कोई कार्यवाही|जिस एक निर्माणाधीन स्कूल को 15 दिन पहले नोटिस दिया,उस पर भी नहीं रुक रहा काम!!ऐसे मे JDA की मंशा पर उठ रहे सवाल!!

आपको बता दें कि इस प्रकरण मे संबंधित जोन अधिकारी द्वारा इस अवैध कॉलोनी मदन विहार के भूखंड संख्या 3 को धारा 32,33 के तहत नोटिस जारी किए गए,अपने नोटिसों मे अधिकारी द्वारा बताया गया कि " आप द्वारा JDA की बिना अनुमति एवं स्वीकृति के कृषि भूमि पर बिना रूपांतरण करवाए,विकसित की गई ***" मदन विहार" के प्लॉट न. 3 मे करीब 38*80 फीट मे दो मंजिल आरसीसी की छत डालकर स्कूल प्रयोजनार्थ वृहद व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है/उक्त सम्पूर्ण निर्माण कृषि बिना भू-रूपांतरण करवाए वृहद व्यवसायिक निर्माण किया जा रहा है,जो कि अवैध है|"***

दिनांक 17/05/2023 को दिए गए इस नोटिस मे दिनांक 24/05/2023 तक अवैध निर्माण हटाने या फिर नोटिस का जवाब देने की हिदायत भी दी गई थी|लेकिन इस नोटिस का भी समबंधित अवैध निर्माणकर्ता बाबूलाल शर्मा पर कोई असर नहीं पड़ा है और मौके पर अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है|

इतना ही नहीं,इस बाबू लाल शर्मा की इस अवैध स्कूल के पास ही वर्मा का निर्माणाधीन और निर्मित अन्य मकान भी है लेकिन शायद यह मकान प्रवर्तन अधिकारी के निरीक्षण के दौरान अदृश्य हो गए थे, लगता है|जिसके कारण संबंधित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा इस अवैध मकानो को नोटिस देने से छोड़ दिया गया|ऐसे मे JDA के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी द्वारा अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध अपनाई जा रही जीरो टोलरेंस की नीति पर ही सवालिया निशान खड़े हो रहे है|

अवैध कॉलोनी मे बन रही बाबूलाल शर्मा की अवैध स्कूल

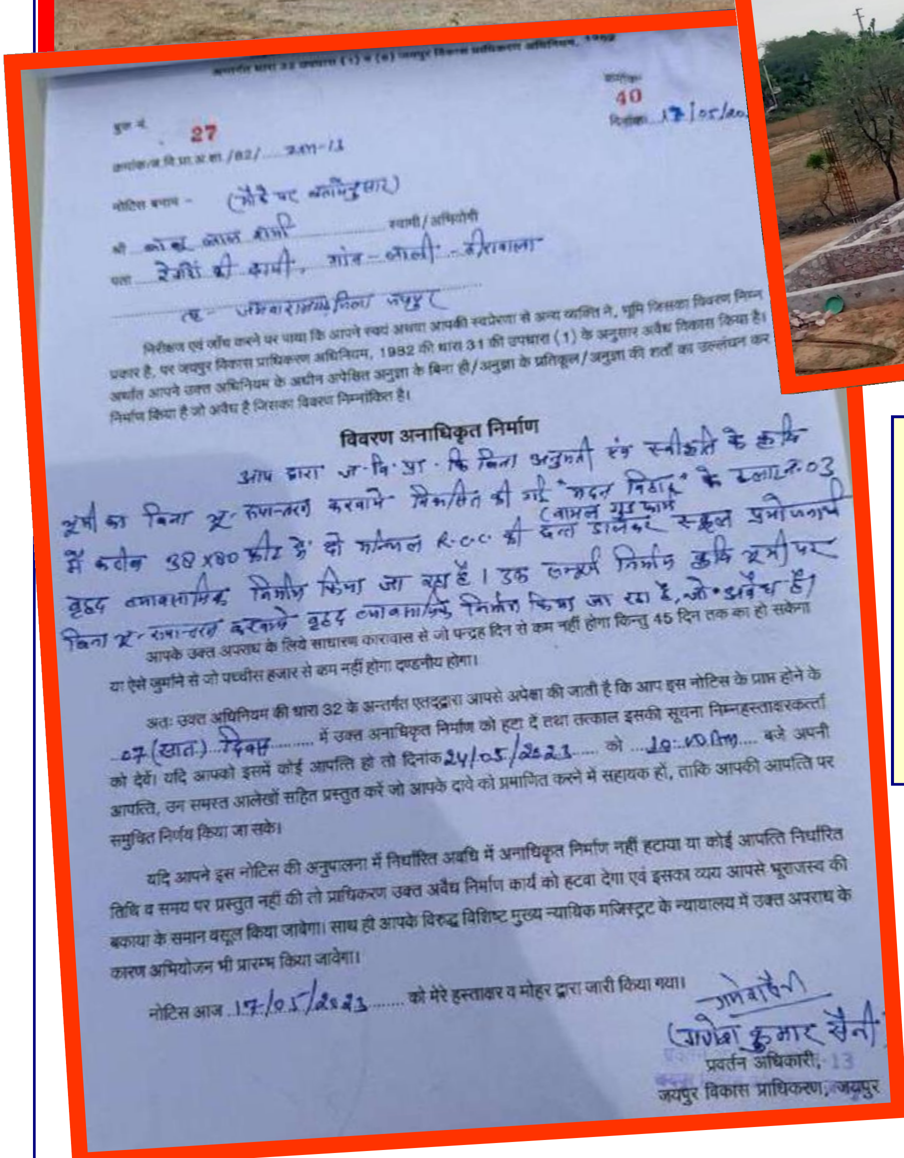

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (4) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

क्रमांक 40

दिनांक 17/05/20..

पृष्ठ सं. 27

क्रमांक/ज.वि.प्रा./प्र.अ./82/ 2023-11

नोटिस बनाम – (मौके पर व्यक्ति अनुसार)

श्री बाबू लाल शर्मा स्वामी/अधिभोगी

पता रैगरों की कोठी, गांव – ओली – कीरावाला

तह – जमवारामगढ़ जिला जयपुर

निरीक्षण एवं जाँच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण अनाधिकृत निर्माण

आप द्वारा ज.वि.प्रा. कि बिना अनुमती एवं स्वीकृति के कृषि भूमि का बिना भू-रूपान्तरण करवाये विकसित की गई "मदन विहार" के प्लाट नं. 03 (कोमल गुड फार्म) में करीब 38x80 फीट में दो मंजिल R.C.C. की छत डालकर स्कूल प्रयोजनार्थ वृहद व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। उक्त सम्पूर्ण निर्माण कृषि भूमि पर बिना भू-रूपान्तरण करवाये वृहद व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है, जो अवैध है।

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के 07 (सात) दिवस में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 24/05/2023 को 10:00 AM बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 17/05/2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

(गणेश कुमार सैनी)
प्रवर्तन अधिकारी, 13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

मौके पर चल रहा एक अन्य अवैध निर्माण,जिसे भी संबंधित अधिकारी द्वारा नोटिस नहीं दिया गया|